


कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक:-नि०वि०-2/03/ 5768

दिनांक:- 06-02-18

कार्यालय आदेश

G.I.,M.F.,F.No.1(7)(2)/2003/TA/11, Dated 7-1-2004 read with O.M. No.1(7)(2)/2003/TA/67-74, Dated: 4-2-2004 के अनुपालन में दिनांक 01-01-2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुये समस्त खंडीय लेखाकारों/खंडीय लेखाधिकारियों को उनके नियुक्ति आदेश की शर्तों के क्रम में पुनः यह सूचित किया जाता है कि वे नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं। अतः वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के प्रावधानों का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पत्र संख्या-49-स्टाफ हक-2/12-2017 दिनांक 10-01-2018 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की पुष्टि की गई है।


उप महालेखाकार/निर्माण


पत्रांक:-नि०वि०-2/03/ 5770

दिनांक:- 06-02-18

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. श्री मदन सिंह, खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, विकास भवन के पास इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की खंडीय लेखाधिकारी संवर्ग को संज्ञान में लाएँ।

2. वेबसाइट पर।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-2